304 10 पत्रावली कार्य स्थगन प्रस्ताव
पक्षकारगण उपस्थित
अधिकारी अन्य कार्यों में
पत्रावली दिनांक 1-11-19 को पेश हो।

1-11-19 वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी उपस्थित वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 1-11-19 को पेश हो।

Kuldeep Kaur
I by me

1-11-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा फार्म नं. 3 के साथ विरासतन जमाबन्दी पेश की शामिल पत्रावली की गई बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री बने। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील अभिलेख दफ्तर हो

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर

न्यायालय उपखण्ड अ
पीठासीन अधिकारी :– कपिल
राजस्व वाद संख्या :– 329 /
1 अजमेर सिंह पुत्र श्री
आवादी, हनुमानगढ़
1 प्रीतम सिंह पुत्र श्री
आवादी, हनुमानगढ़
2 विरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीत
हनुमानगढ़ टाउन त
3 मनजीत कौर पुत्री
हुड्डा कॉलोनी, सिरस
4 कुलदीप कौर पुत्री
निवासी हड़ताली
दावा अन्तर्गत धारा

1. श्री विनोद कुमार
2. श्री गुलाबसिंह अ

वादी द्वारा प्रतिव
तहत इस न्यायालय में
परस्पर एक ही परिवार
भाई बहिन है तथा प्रतिव
प्रतिवादी संख्या
हनुमानगढ़ के खाता सं
11 ता 25 की 3.795 है
7, 14 ता 17, 24, 25
इसके अलावा प्रतिवादी
178 पुराना 74 के खस
प्रमाणित प्रतिलिपि जमा
वादी के पिता
पिता से प्राप्त पैतृक
होने के कारण वादी
प्रतिवादीगण संख्या 3
के सम्बंध में वादी ए
सहमति से पूर्व में घ
पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त
1 व 2 के पक्ष में वि
तहसील हनुमानगढ़
18 का 10 बिस्वा, 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 329/2019

1 अजमेर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 प्रीतम सिंह पुत्र श्री रला सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 विरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 मनजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह धर्मपत्नी श्री प्यारा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हुड्डा कॉलोनी, सिरसा (हरियाणा)
4 कुलदीप कौर पुत्री प्रीतम सिंह धर्मपत्नी श्री कलवन्त सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हड़ताली जिला पानीपत (हरियाणा) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् स्थाई व्यादेश

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता वादी
2. श्री गुलाबसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 01-11-2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 परस्पर हकीकी भाई बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का पिता है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/53 के पत्थर नम्बर 123/273 मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 123/274 मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक्टर कुल तादादी 6.325 हैक्टर दर्ज कागजात माल है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सालासर तहसील कोलायत के खेवट खतौनी नया 178 पुराना 74 के खसरा नम्बर 718/223 में 2.01 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त वर्णित 6.325 हैक्टर कृषि भूमि अपने पिता से प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 सहदायिक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का जन्मतः ही हक व हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की हकीकी बहनें हैं। इस कृषि भूमि के सम्बंध में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की सहमति से पूर्व में घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त होने वाले अपने अपने हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जा चुका था। उक्त घरू बंटवारा में वादी को चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

है। वादी को उक्त घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि तादादी 7 बीघा 10 बिस्वा पर वादी का कब्जा काश्त है तथा उक्त कृषि भूमि वादी के आधिपत्य, धारण व कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में से अपने अपने हक व हिस्सा अनुसार 2.530 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय अन्य दीगर लोगों के पक्ष में करवा दिया है जिनका राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी हो चुका है। शेष कृषि भूमि तादादी 3.795 हैक्टर जो कि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक व हिस्सा की भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं। चूंकि वादी को चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पूर्व में हुए घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है व इस कृषि भूमि पर वादी बंटवारा के रोज से काबिज चला आ रहा है व उक्त कृषि भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है इस कारण वादी घरू बंटवारा में प्राप्त उपरोक्त कृषि भूमि तादादी 7 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है तथा मुताबिक घोषणा राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन करवाने को अधिकारी व दावेदार है।

उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त उक्त कृषि भूमि की सार संभाल व काश्त वादी ही करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वृद्धावस्था में है, अन्य दीगर लोगों के बहकावे में आकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को उनका हक व हिस्सा नहीं देने की गर्ज से उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है। उक्त भूमि बैय व मुन्तकिल हो जाने से वादी के विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इन परिस्थितियों में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/53 के पत्थर नम्बर 123/273 मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 123/274 मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2. 530 हैक्टर कुल तादादी 6.325 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने तथा इसे अधिभारित करने से निषिद्ध रहे।

वादी ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से आग्रह किया कि वह प्रश्नगत भूमि में वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि को स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवा देवे व अपना नाम कलमजन करवा ले तथा उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तो वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा वाद में याचित अनुतोष का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह वाद पत्र 2/–रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वादी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि वाके चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का

लगातार 3

Scanned by CamScanner

10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार हैं तथा इसी मुताबिक राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन करवाने का अधिकारी है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/53 के पत्थर नम्बर 123/273 मुरब्बा नंम्बर 28 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 123/274 मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक्टर कुल तादादी 6.325 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने तथा इसे अधिभारित करने से निपित रहे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वादी के पक्ष में प्रदान की जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 10.10.2019 को तथा वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 4 द्वारा दिनांक 01.11.2019 उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है, के नाम राजस्व अभिलेख में चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/53 के पत्थर नम्बर 123/273 मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 123/274 मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक्टर कुल तादादी 6.325 हैक्टर इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सालासर तहसील कोलायत के खेवट खतौनी नया 178 पुराना 74 के खसरा नम्बर 718/223 में 2.01 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या–1 को उपरोक्त वर्णित 6.325 हैक्टर कृषि भूमि अपने पिता से प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 सहदायिक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का जन्मतः ही हक व हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की हकीकी बहनें हैं। इस कृषि भूमि के सम्बंध में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की सहमति से पूर्व में घरू बटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त होने वाले अपने अपने हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जा चुका था। उक्त घरू बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से अधिक की कृषि भूमि 2.530 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र अन्य दीगर लोगों के पक्ष में करवा दिया जिसका नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम शेष रही कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिए वादी द्वारा घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व परिवार के मौजिज सदस्यों की समझाईश से राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा वादी अजमेर सिंह को चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 विरेन्द्र सिंह चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 13 का 10 बिस्वा, 14, 15, 16, 17, 18 का 10 बिस्वा, 23 का 10 बिस्वा, 24, 25 कुल 7 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने हेतु सहमत है।

लिहाजा यह राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उपरोक्तानुसार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 5

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, वाद में वर्णित भूमि में चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 विरेन्द्र सिंह चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 13 का 10 बिस्वा, 14, 15, 16, 17, 18 का 10 बिस्वा, 23 का 10 बिस्वा, 24, 25 कुल 7 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 01-11-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 329/2019

1 अजमेर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 प्रीतम सिंह पुत्र श्री रला सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 विरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नम्बर 25, नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मनजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह धर्मपत्नी श्री प्यारा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हुड्डा कॉलोनी, सिरसा (हरियाणा)

4 कुलदीप कौर पुत्री प्रीतम सिंह धर्मपत्नी श्री कलवन्त सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हड़ताली जिला पानीपत (हरियाणा) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– .....

वादी की और से श्री विनोद पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री गुलाबसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 13.11.19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, वाद में वर्णित भूमि में चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 18 का 10 बिस्वा, 19 ता 22, 23 का 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 विरेन्द्र सिंह चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 123/273 का किला नम्बर 13 का 10 बिस्वा, 14, 15, 16, 17, 18 का 10 बिस्वा, 23 का 10 बिस्वा, 24, 25 कुल 7 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 13.11.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.30 16:35:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: